



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264107
CG-DL-E-25062025-264107

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2772]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2025/आषाढ़ 3, 1947

No. 2772]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2025/ASHADHA 3, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2025

का.आ. 2838(अ).— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है;

और, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के क्षेत्र में अंतर्विष्ट ब्यौरे रेखांक धारक संख्या आरईवी/03/2025, तारीख 4 मार्च, 2025 का निरीक्षण सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (भूमि और राजस्व विभाग), दरभंगा हाउस, राँची 834029, झारखण्ड के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला लातेहार और चतरा, झारखण्ड या उपायुक्त, जिला लातेहार और चतरा, झारखंड के कार्यालय में या महाप्रबंधक (अन्वेषण प्रभाग), आर.आई. III, केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड, गोंडवाना पैलेस, कांके रोड राँची 834008, झारखंड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोयला मंत्रालय, स्कोप मीनार, 5वां तल, कोर II, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

उक्त अनुसूची में उल्लेखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति-

- (i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन की गई किसी कार्यवाई से हुई या होने वाली संभावित किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा,

इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर महाप्रबंधक, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, मगध संघमित्रा क्षेत्र, जिला लातेहार और चतरा (झारखण्ड) और महाप्रबंधक, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, भूमि एवं राजस्व विभाग, दरभंगा हाउस, राँची 834029, झारखण्ड को भेज सकेगा।

अनुसूची

मगध संघमित्रा ओसीपी विस्तार,

जिला लातेहार और चतरा, झारखण्ड

[रेखांक धारक संख्या आरईवी/03/2025, तारीख 4 मार्च, 2025]

खंड	क्र.सं.	ग्राम/ मौज़ा	थाना सं.	अंचल	जिला	अधिग्रहण के अधीन भूमि का रकबा		टिप्पणियाँ
						एकड़ में	हेक्टेयर में	
ए	1	मनातू	50	बालुमाथ	लातेहार	23.48	9.50	भाग
	2	बनवार	51	बालुमाथ	लातेहार	81.16	32.85	भाग
	3	चर्रा / चेडरा	54	बालुमाथ	लातेहार	0.91	0.37	भाग
	कुल					105.55	42.72	
बी	1	बानालात	49	बालुमाथ	लातेहार	86.85	35.15	भाग
	2	बनवार	51	बालुमाथ	लातेहार	135.28	54.75	भाग
	3	मनातू	50	बालुमाथ	लातेहार	9.91	4.01	भाग
	4	चमातु	56	बालुमाथ	लातेहार	2.40	0.97	भाग
	5	चर्रा / चेडरा	54	बालुमाथ	लातेहार	62.16	25.16	भाग
	6	फूलबासिया	58	बालुमाथ	लातेहार	0.03	0.01	भाग
	7	कुडलौंगा	26	टंडवा	चतरा	78.10	31.61	भाग
	कुल					374.73	151.66	
सी	1	कुडलौंगा	26	टंडवा	चतरा	3.13	1.27	भाग
डी	1	सराधु	29	टंडवा	चतरा	1.84	0.74	भाग
ई	1	हेचाबलिया	30	टंडवा	चतरा	3.42	1.38	भाग
एफ	1	बानालात	49	बालुमाथ	लातेहार	0.67	0.27	भाग
कुल क्षेत्रफल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)						489.34 एकड़ (लगभग)	198.04 हेक्टेयर (लगभग)	

सीमा वर्णन:

खंड	सीमा रेखा	सीमा वर्णन
ए	ए1 - ए2 - ए3 - ए4 - ए5 - ए6 - ए7 - ए8 - ए9 - ए1	रेखा बिंदु 'ए1' से आरंभ होकर बिन्दु ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8 एवं ए9 से गुजरते हुए विनिर्दिष्ट के अनुसार आरंभिक बिंदु 'ए1' पर मिलती है
बी	बी1 - बी2 - बी3 - बी4 - बी5 - बी6 - बी7 - बी8 - बी9 - बी10 - बी11 - बी12 - बी13 - बी14 - बी15 - बी16 - बी17 - बी18 - बी19 - बी20 - बी21 - बी22 - बी23 - बी24 - बी25 - बी26 - बी27 - बी28 - बी1	रेखा बिंदु 'बी1' से आरंभ होकर बिन्दु बी2, बी3, बी4, बी5, बी6, बी7, बी8, बी9, बी10, बी11, बी12, बी13, बी14, बी15, बी16, बी17, बी18, बी19, बी20, बी21, बी22, बी23, बी24, बी25, बी26, बी27 एवं बी28 से गुजरते हुए विनिर्दिष्ट के अनुसार आरंभिक बिंदु 'बी1' पर मिलती है
सी	सी1 - सी2 - सी3 - सी4 - सी5 - सी1	रेखा बिंदु 'सी1' से आरंभ होकर बिन्दु सी2, सी3, सी4 एवं सी5 से गुजरते हुए विनिर्दिष्ट के अनुसार आरंभिक बिंदु 'सी1' पर मिलती है
डी	डी1 - डी2 - डी3 - डी4 - डी5 - डी6 - डी7 - डी8 - डी9 - डी1	रेखा बिंदु 'डी1' से आरंभ होकर बिन्दु डी2, डी3, डी4, डी5, डी6, डी7, डी8 एवं डी9 से गुजरते हुए विनिर्दिष्ट के अनुसार आरंभिक बिंदु 'डी1' पर मिलती है
इ	इ1 - इ2 - इ3 - इ4 - इ5 - इ6 - इ7 - इ1	रेखा बिंदु 'इ1' से आरंभ होकर बिन्दु इ2, इ3, इ4, इ5, इ6 एवं इ7 आई से गुजरते हुए आरंभिक बिंदु 'इ1' पर मिलती है
एफ	एफ1 - एफ2 - एफ3 - एफ4 - एफ1	रेखा बिंदु 'एफ1' से आरंभ होकर बिन्दु एफ2, एफ3 एवं एफ4 से गुजरते हुए विनिर्दिष्ट के अनुसार आरंभिक बिंदु 'एफ1' पर मिलती है

[फा.सं. 43015/4/2025-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2025

S.O. 2838(E).— Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And whereas the plan bearing number REV/03/2025, dated the 4th March, 2025, containing details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Central Coalfields Limited (Land and Revenue Department), Darbhanga House, Ranchi 834029, Jharkhand or at the Office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghmitra Area, Districts Latehar and Chatra, Jharkhand or at the office of the Deputy commissioner, Districts Latehar and Chatra, Jharkhand or at the office of the General Manager (Exploration Division), RI-III, Central Mine Planning and Design Institute, Gondwana Palace, Kanke Road, Ranchi 834008, Jharkhand or at the office of Coal Controller, Coal Controller's Organisation, Ministry of Coal, Scope Minar, 5th floor, Core-II, Laxmi Nagar, Delhi 110092.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule.

Any persons interested in the land described in the said Schedule may –

(i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or

(ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act, in respect of prospecting licenses ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the office of the General Manager, Central Coalfields Limited, Magadh Sanghmitra Area, Districts Latehar and Chatra, Jharkhand or General Manager, Central Coalfields Limited, Land and Revenue Department, Darbhanga House, Ranchi 834029, Jharkhand within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Sanghmitra OCP Expansion,
District Latehar and Chatra, Jharkhand

[Plan bearing number REV/03/2025, dated the 4th March, 2025]

Block	Sl. No.	Village	Thana No.	Thana	District	Area Under acquisition		Remarks
						Acre	Hectare	
A	1	Manatu	50	Balumath	Latehar	23.48	9.50	Part
	2	Banwar	51	Balumath	Latehar	81.16	32.85	Part
	3	Charra/Chedra	54	Balumath	Latehar	0.91	0.37	Part
A	Total					105.55	42.72	
B	1	Banalat	49	Balumath	Latehar	86.85	35.15	Part
	2	Banwar	51	Balumath	Latehar	135.28	54.75	Part
	3	Manatu	50	Balumath	Latehar	9.91	4.01	Part
	4	Chamatu	56	Balumath	Latehar	2.40	0.97	Part
	5	Charra/Chedra	54	Balumath	Latehar	62.16	25.16	Part
	6	Phulbasia	58	Balumath	Latehar	0.03	0.01	Part
	7	Kurlonga	26	Tandwa	Chatra	78.10	31.61	Part
B	Total					374.73	151.66	
C	1	Kurlonga	26	Tandwa	Chatra	3.13	1.27	Part
D	1	Saradhu	29	Tandwa	Chatra	1.84	0.74	Part
E	1	Hechabalia	30	Tandwa	Chatra	3.42	1.38	Part
F	1	Banalat	49	Balumath	Latehar	0.67	0.27	Part
Grand Total Area (A+B+C+D+E+F)						489.34 acres (Approximately)	198.04 hectares (Approximately)	

Grand Total Area (A+B+C+D+E+F) = 489.34 acres (approximately) or 198.04 hectares (approximately)

Boundary Description:

Block	Boundary Line	Boundary Description
A	A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9	Line starts from point 'A1' and passes through points A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 and A9 and meets at starting point 'A1'
B	B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13 - B14 - B15 - B16 - B17 - B18 - B19 - B20 - B21 - B22 - B23 - B24 - B25 - B26 - B27 - B28 - B1	Line starts from point 'B1' and passes through points B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27 and B28 and meets at starting point 'B1'
C	C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C1	Line starts from point 'C1' and passes through points C2, C3, C4 and C5 and meets at starting point 'C1'
D	D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9	Line starts from point 'D1' and passes through points D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 and D9 and meets at starting point 'D1'
E	E1 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E1	Line starts from point 'A1' and passes through points E2, E3, E4, E5, E6 and E7 and meets at starting point 'E1'
F	F1 - F2 - F3 - F4 - F1	Line starts from point 'F1' and passes through points F2, F3, F4, and F9 and meets at starting point 'F1'

[F. No. 43015/4/2025-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.